



(74)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प

M. 5505- फा 116

रीवा म0प्र0



1. कामता प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री शंकर सहाय त्रिपाठी उम्र 70 वर्ष पेशा कृषि
2. गोरेलाल त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी उम्र 52 वर्ष पेशा कृषि
3. रोहिणी प्रसाद त्रिपाठी तनय कामता प्रसाद त्रिपाठी उम्र 45 वर्ष पेशा कृषि
4. जय प्रकाश त्रिपाठी तनय श्री कामता प्रसाद त्रिपाठी उम्र 40 वर्ष पेशा

कृषि सभी निवासी ग्राम बीरखाम तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

--निगरानीकर्ता/आवेदकगण

आवेदक श्री गोरेलाल
त्रिपाठी द्वारा
पेशा कृषि 23/11/16

बनाम
23/11/16

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर
सर्किट कोर्ट

1. गिरीश शंकर कुमारी पत्नी दिनेश द्विवेदी उम्र 42 वर्ष पेशा धरुकार्य

2. कौशल प्रसाद तिवारी तनय श्री बैकुण्ठ प्रसाद तिवारी उम्र 38 वर्ष
3. अखिलेश प्रसाद त्रिपाठी तनय रामप्रमोद त्रिपाठी उम्र 46 वर्ष पेशा कृषि
4. शिवनारायण त्रिपाठी तनय रामप्रमोद त्रिपाठी उम्र 42 वर्ष पेशा कृषि

सभी निवासी ग्राम बीरखाम तहसील सेमरिया, थाना सेमरिया जिला

रीवा म0प्र0

--गैर निगरानीकर्ता/अनावेदकगण

आवेदन पत्र रिवीजन क्रमांक आर 5314-2/2016

मे पारित अदम पैरवी मे खारिज आदेश दिनांक


27.10.2016 को निरस्त करते हुए प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-M.5505-II/16

जिला-रीवा

कामता प्रसाद त्रिपाठी/मिथिलेश कुमारी

(1)	(2)	(3)
22.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	